न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 10/2018

वादीः– **बनाम प्रतिवादीगणः–**

भैराराम वगैरह मदनसिंह वगैरह

उपस्थितिः–

1. श्री मनिष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादीगण
2. श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

–:आदेशः– दिनांक 18.03.2019

1. प्रतिवादीगण ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद अंतर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। पूर्व में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 320 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वादीगण के पिता शंकरलाल की खातेदारी की थी। वादीगण के पिता/पति शंकरलाल ने वादग्रस्त भूमि के बैचाण हस्तांतरण, संपरिवर्तन, वाद विवाद इत्यादि में अपनी ओर से कार्य करने हेतु प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र कूंपाराम जाति सिरवी निवासी सोडावास के पक्ष में दिनांक 01–07–2006 को बकायदा स्टाम्प पेपर पर आम मुख्तियारनामा कम्प्युटर से टाईप करवाकर, पढवाकर सुन–समझकर सही होना मंजूर कर अपने अंगुष्ठ निशान लगाकर निष्पादन किया तथा नोटेरी पब्लिक श्री ओमप्रकाश कच्छवाह के समक्ष पेश कर तस्दीक करवाया। त्वरित संदर्भ के लिये आम मुख्तियारनामा की प्रति साथ में पेश है। उक्त आम मुख्तियार के आधार पर प्रतिवादी भंवरलाल ने ग्राम पंचायत सोडावास में आवेदन पेश कर वादग्रस्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत सोडावास ने प्रस्ताव संख्या 11 ग्राम सभा दिनांक 15–12–2006 में पारित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र कमांक/1 दिनांक 21–12–2006 को जारी किया त्वरित संदर्भ के लिये प्रतिवादी भंवरलाल द्वारा ग्राम पंचायत सोडावास को प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति, ग्राम पंचायत सोडावास का प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 15–12–2006 एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र कमांक/1 दिनांक 21–12–2006 साथ में पेश है। तत्पश्चात् वादीगण के पिता/पति शंकरलाल ने विहित प्राधिकारी (तहसीलदार, पाली) ने अपने आदेश कमांक/राजस्व/2007 दिनांक 20–02–2007 द्वारा नियमानुसार शुल्क वसूल कर वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 320 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में से 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि को "कृषि भूमि" से "आवासीय प्रयोजनार्थ" संपरिवर्तन किया तथा शेष खुली भूमि रास्ता के उपयोग हेतु रखी गई। उक्त आदेश दिनांक 20–02–2007 की एक प्रति वादीगण संख्या 01 लगायत 05 के पिता/पति शंकरलाल को प्रेषित की गई। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 15–03–2007 स्वीकृत होकर उसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 में हो गया। प्रमाण में संपरिवर्तन आदेश दिनांक 20–02–2007 एवं वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 की प्रति त्वरित संदर्भ के लिए साथ में पेश है। वादीगण संख्या 01 लगायत 05 के पिता/पति शंकरलाल ने आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि खसरा नंबर 320 रकबा 1998 वर्गमीटर यानि 21483 वर्गफीट, किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ संपूर्ण भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचारणनामा दिनांक 22–11–2007 के बएवज प्रतिफल रूपये 95,000/– प्रतिवादी कुंपाराम सिरवी को बेचाण हस्तांतरण की तथा बैचाणसुदा भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा प्रतिवादी कूंपाराम को सुपुर्द किया जो कब्जा प्रतिवादी कूंपाराम ने सम्भाल लिया तथा शेष ओपन भूमि रास्ता हेतु ओपन ही रखी गई।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

जैसाकि बेचाणनामा में दर्ज है। प्रमाण में बैचाणनामा दिनांक 22–11–2007 की फोटो प्रति त्वरित संदर्भ के लिये साथ में पेश है। इस प्रकार उपरवर्णित रजिस्टर्ड बैचाणनामा दिनांक 22–11–2007 के जरिये वादीगण संख्या 01 लगायत 05 पिता/पति शंकरलाल ने वादग्रस्त भूमि में से रकबा 1998 वर्गमीटर यानि 21483 वर्गफीट संपूर्ण भूमि प्रतिवादी कूंपाराम को बेचाण कर संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर मौके पर वास्तविक भौतिक रूप से कब्जा प्रतिवादी कूंपाराम को सुपुर्द किया, तब से प्रतिवादी कूंपाराम का जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामा के खरीदसुदा भूमि खसरा नंबर 320 रकबा 1998 वर्गमीटर यानि 21483 वर्गफीट भूमि वास्तविक एवं भौतिक आज भी कब्जा कायम है। हस्तगत Frivolous & Vexatious यानि तुच्छ एवं तंग करने वाल वाद में वादीगण ने जानबूझकर उपरोक्त मेटेरियल तथ्यों जैसेकि उपरोक्त खसरा नंबर 320 की भूमि में से रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने सम्बन्धी आदेश, उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 670 तथा उक्त आवासीय भूमि के रजिस्टर्ड बैचाणनामा दिनांक 22–11–2007 बाबत् तथ्यों को छीपाते हुये हस्तगत Frivolous & Vexatious वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया इस प्रकार प्रकट है कि वादीगण को वाद कारण यानि a clear right to sue प्राप्त नहीं था क्योंकि:–

प्रथम– वादग्रस्त भूमि "कृषि भूमि" नहीं है क्योंकि वादीगण के पिता/पति शंकरलाल स्वयं ने वादग्रस्त कृषि भूमि में से रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा अपने जीवनकाल में उपर दर्ज अनुसार कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा चुके थे तथा संपरिवर्तन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 670 स्वीकृत होकर उसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड में हो गया जो आज भी दर्ज है। द्वितीय– उक्त संपरिवर्तित भूमि वादीगण के पिता/पति शंकरलाल ने बएवज प्रतिफल के जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 22–11–2007 के प्रतिवादी कूंपाराम को बैचाण कर चुके थे तथा बैचाणसुदा भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा भी प्रतिवादी कूंपाराम को सुपूर्द कर चुके थे। अतः वाद प्रस्तुति के दिन वादग्रस्त भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार नहीं थे इस कारण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद लाने का अधिकार वादीगण को प्राप्त नहीं था और है। तृतीय– प्रतिवादी कूंपाराम का वादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार के कब्जा है, न कि अतिचारी के रूप में अतः धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी वादीगण को वाद लाने का अधिकार नहीं था और न है। चतुर्थ– वाद प्रस्तुति के दिन वादग्रस्त भूमि की किस्म आवासयी प्रयोजनार्थ दर्ज थी और आज भी दर्ज है अतः आवासीय भूमि वाद की सुनवाई की अधिकारीता आदरणीय न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर धारा 207 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम सपठित तृतीय अनसूची अनुसार सिविल कोर्ट को होने से हस्तगत वाद आदरणीय न्यायालय की अधिकारीता का नहीं होकर विधि द्वारा वर्जित होने से भी खारिज करने योग्य है। पंचम– वादीगण के पिता/पति शंकरलाल ने अपनी सदभाविक आवश्यकता हेतु वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 320 में से संपरिवर्तित रकबा 1998 वर्गमीटर यानि 21483 वर्गफीट संपूर्ण भूमि बएवज प्रतिफल उपर दर्ज अनुसार प्रतिवादी संख्या 03 कूपाराम को जरिये रजिस्टर्ड बैचाणनामा के बैचाण कर दी। विधि अनुसार उक्त बैचाणनामा को निरस्त घोषित करवाये बिना हस्तगत वाद की सुनवाई बाबत अधिकारीता आदरणी राजस्व न्यायालय को नहीं बल्कि इस हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम है। हस्तगत वाद धारा 207 सपठित अनुसूची III में विनिर्दिष्ट प्रकार का नहीं है। अतः हस्तगत वाद आदरणीय न्यायालय के अधिकारिता का नहीं है तथा आदरणीय न्यायालय में विधि द्वारा वर्जित होने से रिजेक्ट करने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा Frivolous & Vexatious होकर आदरणीय न्यायालय की अधिकारिता का नहीं होने, वाद–कारण उत्पन्न नहीं होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने से रिजेक्ट फरमावें।

2. वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करने से उनका जवाब का अवसर समाप्त किया गया तथा उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का आम मुख्तीयारनामा वादीगण के पिता शंकरलाल द्वारा प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र कुकाराम को दिनांक 01–07–2006 को दिया गया था। वादग्रस्त भूमि में से 1.05 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुका है जिसका इंद्राज जमाबंदी में जरिये नामां0 संख्या 670 दिनांक 15–03–2007 के द्वारा किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि को संपरिवर्तन के पश्चात् वादीगण के पिता शंकरलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख कूंपाराम पुत्र मोतीजी का बेचाण कर दी तथा कब्जा करवा दिया। वादग्रस्त भूमि का संपरिवर्तन हो जाने से वह कृषि भूमि नहीं रही है इसलिए इस न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार नहीं रह गया है। धारा 183 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद खातेदार ही ला सकता है। वादग्रस्त भूमि खातेदारी कृषि भूमि नहीं रह गई है आवासीय भूमि है। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी ने अपनी बहस के समर्थन में 1987 आरआरडी पेज 132, 2008(1) आरआरटी पेज 237, 1997 (4) आर.बी.जे. पेज 515, 1975 आरआरडी पेज 566, 2009–10(सुप.)

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

आरआरटी 333, 1984 आरआरडी 482, 2017(1) डीएनजे(राज.) पेज 1, 2003(1) डीएनजे (एससी) पेज 107, 2014(2) आरआरटी (एससी) पेज 1374 की नजीरें प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर दावा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक वादी ने बहस का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादीगण की खातेदारी की दर्ज है। प्रतिवादीगण वादीगण को परेशान कर रहे है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के के ग्राउण्ड लिमिटेड है। आदेश 7 नियम 11 डी में कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं होने पर वाद खारिज किया जा सकता है। वादीगण द्वारा अपने वाद में वर्णित किया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध कॉज ऑफ एक्शन किस प्रकार से पैदा हुआ है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 2019(1) सीजे(सिव0)(राज0) पेज 275, 2019 (1) सीजे(सिव0)(एससी) पेज 35, 2018 (1) सीजे(सिव0)(राज0) पेज 448, 2019(1) आरआरटी 264, 2018 (1) सीजे(सिव0)(राज0) पेज 371 एवं 2018(1) सीजे(सिव0)(राज0) पेज 214 की नजीरें प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

5. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधान निम्न प्रकार से है:–

11. **वाद पत्र का नामंजूर किया जाना–** वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नांजूर कर दिया जायेगा–

(क) जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कर किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय में नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ड) जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है,

(च) जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है,

(छ) जहां वादी नियम 9 (3) की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

इस विचाराधीन वाद में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (ए) एवं (डी) के तहत प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा वादपत्र के बिन्दु संख्या 6 में वाद हेतुक दर्शित किया गया है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 320 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा में से 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि विहित प्राधिकारी (तहसीलदार, पाली) द्वारा आदेश कमांक/राजस्व/2007 दिनांक 20–02–2007 के द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की जा चुकी है तथा जरिये नामां0 संख्या 670 दिनांक 15–03–2007 के द्वारा जमाबंदी में आवासीय प्रयोजनार्थ होने का इंद्राज किया जा चुका है। वादीगण के पिता/पति शंकरलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख 22–11–2007 के द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर 1.05 बीघा भूमि का बेचाण हस्तान्तरण प्रतिवादी कुंपाराम सिरवी को किया गया है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में खसरा नंबर 320 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा भूमि का **"वादग्रस्त भूमि"** से संबोधित कर वाद पत्र के पैरा संख्या 11 में प्रतिवादीगण के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। वादीगण जिस भूमि को लेकर यह वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें से 1.05 बीघा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही उनके पिता/पति द्वारा कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा कर बेचाण की जा चुकी है। धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित तृतीय अनुसूची अनुसार वादग्रस्त भूमि का श्रवणाधिकारी सिविल कोर्ट को होने से वाद विधि द्वारा वर्जित होना पाया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत आरआरडी 1987 पेज 132, 2008 (1) आरआरटी पेज 237, 2008(1) आरआरटी 239 के पैरा 13, 2009–10 (supp.) आरआरटी पेज 333, 2017 (1)डीएनजे (राज.) 1 पैरा 15 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत लागू होते है।

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11(ए) एवं (डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं धारा 207 सपठित अनुसूची तृतीय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास– श्री रोहिताश्त सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 10 सन् 2018

वादीः–

1. श्री भेराराम पुत्र शंकरलाल उम्र 35 वर्ष
2. श्री कुकाराम पुत्र श्री शंकरलाल उम्र 30 वर्ष
3. श्रीमती चुनकी पत्नि श्री शंकरलाल उम्र 60 वर्ष
4. वदीया पुत्री श्री शंकरलाल उम्र 25 वर्ष
5. मंजु पुत्री शंकरलाल उम्र 24 वर्ष तमाम जातिगण हिरागर(सरगरा) निवासीगण सोडावास तहसील व जिला पाली (राज0)

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. श्री मदनसिंह पुत्र श्री घीसुसिंह जाति रावणा राजपुत उम्र बालिग, जाति रावणा राजपुत निवासी सोडावास, तहसील व जिला पाली (राज0)
2. श्री भंवरलाल पुत्र श्री कुपाराम उम्र बालिग
3. श्री कुपाराम पुत्र श्री मोतीलाल उम्र बालिग
4. श्री छोगाराम पुत्र श्री कुपाराम उम्र बालिग
5. श्री मांगीलाल पुत्र श्री गंगाराम उम्र बालिग
6. श्रीमती मोहनी पत्नि श्री भंवरलाल उम्र बालिग
7. श्रीमती कुकी बाई पत्नि श्री कुपाराम उम्र बालिग तमाम जातिगण सिरवी निवासी सोडावास तहसील व जिला पाली (राज0)
8. भूमिधारी तहसीलदार, पाली तहसील व जिला पाली (राज0)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादीगण बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11(ए) एवं (डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं धारा 207 सपठित अनुसूची तृतीय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 03 सन् 2019 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

कृ.पृ.उ.

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी		–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मौजान			मौजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner